[2022] 1 एस. सी. आर. 373

क.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.

भारत और ओआरएस का संघ। (2022 की सिविल अपील संख्या 152) 20 जनवरी, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

ई. एस. आई. सी. भर्ती नियम 2015:प्रत्यर्थी 3 से 25 07 फरवरी 2014 और 26 जून 2016 के बीच अलग-अलग तिथियों पर ई. एस. आई. सी. मॉडल अस्पताल में सहायक प्रोफेसर के रूप में सेवा में शामिल हुए-अपीलार्थी द्वारा जारी विज्ञापनों में उल्लेख किया गया है कि डी. ए. सी. पी. योजना उसकी भर्तियों के लिए लागू होगी-सहायक प्रोफेसर के पद पर दो साल पूरे होने पर, प्रत्यर्थी 3 से 25 ने एसोसिएट प्रोफेसर के ग्रेड में पदोन्नति की मांग करते हुए अपीलार्थी को अभ्यावेदन दिया, और डी. ए. सी. पी. योजना के लाभ का दावा करने वाली कार्यवाही शुरू की-सी. ए. टी. ने अपीलार्थी को डी. ए. सी. पी. योजना के तहत अपने मामले पर विचार करने का निर्देश दिया-अपीलार्थी ने सी. ए. टी. के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी-अपील पर कहाःजिन तारीखों पर चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता अपीलार्थी की सेवा में शामिल हुए, उनकी पदोन्नति ईएसआईसी भर्ती विनियम 2008 द्वारा नियंत्रित की गई थी जो 2 मई 2009 को प्रभावी हुई थी और सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में पदोन्नति के लिए चार साल की योग्यता सेवा को अनिवार्य किया गया था-जब चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने दो साल की सेवा पूरी कर ली थी, तो उन्हें ईएसआईसी भर्ती विनियम 2015 द्वारा नियंत्रित किया गया था जो 5 जुलाई 2015 को लागू हुआ था और सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में पदोन्नति के लिए पांच साल की योग्यता सेवा को अनिवार्य किया गया था-इस प्रकार, दो साल की सेवा पूरी होने पर पदोन्नति की सुविधा देने वाली डीएसीपी योजना चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं पर लागू नहीं होती है, जब विनियमों का वैधानिक प्रभाव होता है जो 29 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन को ओवरराइड करता है जो डीएसीपी योजना को लागू करता है-ईएसआईसी भर्ती विनियम 2015 को प्राथमिकता दी गई है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

इस न्यायालय के समक्ष कानून की सही स्थिति का समर्थन करना-वैधानिक प्रभाव वाले क़ानून या विनियमों के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।

सेवा कानूनःनियुक्ति/भर्ती-यह सेवा न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी विज्ञापन और सेवा विनियमों में किसी कथन के बीच टकराव की स्थिति में, बाद वाला प्रबल होगा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** ई. एस. आई. सी. द्वारा ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **97 (1)** और धारा **17 (3)** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम **2008** जारी किए गए थे। इन विनियमों ने ई. एस. आई. सी. में विशेषज्ञ **(**शिक्षण**)** का संवर्ग शुरू किया और ई. एस. आई. सी. चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण संकाय पदों पर सभी नियुक्तियों को नियंत्रित किया।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम **2008** में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में चार साल की सेवा की आवश्यकता थी।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम **2015,** जो **5** जुलाई **2015** को बनाए गए थे, ने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में पांच साल की सेवा की आवश्यकता निर्धारित की थी।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम **2015** की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये विनियम ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम **2008** का स्थान लेने के लिए थे और इन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी से बनाया गया था।ई. एस. आई. भर्ती विनियम **2008** और **2015** ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **97 (3)** के आधार पर वैधानिक प्रभाव रखते हैं। यह स्थापित कानून है कि सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए विनियमों में अधिनियमित कानून का बल होता है।**[**पारस **12,13] [387-**जी-एच**; 388-**ए-बी, एफ**]**

ग

डी.

ई.

च

सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंश

(1975) 1 एससीसी 421:[1975] 3 एस. सी. आर. 619; संत राम

शर्मा बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. **1967** एस. सी. **1910:[1968]** एस. सी. आर. **111;** हिमालयन कूप। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम।

बलवान सिंह (2015) 7 एससीसी 373:[2015] 4 एस. सी. आर. 616-अनुसरण किया गया।

जी.

पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला बनाम मंगल

सिंह और अन्य (2011) 11 एससीसी 702:[2011] 6 एससीआर

564; भारत संघ बनाम मजजी जंगमय्या **(1977) 1** एस. सी. सी.

606 :[1977] 2 एस. सी. आर. **28-**संदर्भित।

एच.

375

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ ए

क.

2. जिन तिथियों पर चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता अपीलार्थी की सेवा में शामिल हुए**-07** फरवरी **2014** से **26** जून **2016** तक-उनकी पदोन्नति ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम **2008** द्वारा नियंत्रित की गई थी जो **2** मई **2009** को प्रभावी हुई और सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए चार साल की योग्यता सेवा अनिवार्य की गई।जब चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने दो साल की सेवा पूरी कर ली थी, तो उन्हें ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम **2015** द्वारा नियंत्रित किया गया था जो **5** जुलाई **2015** को लागू हुआ और सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए पांच साल की योग्यता सेवा अनिवार्य की गई।इस प्रकार, दो साल की सेवा के पूरा होने पर पदोन्नति की सुविधा देने वाली डी. ए. सी. पी. योजना प्रतियोगी उत्तरदाताओं पर लागू नहीं होती है, जब नियमों का एक वैधानिक प्रभाव

होता है जो **29** अक्टूबर **2008** के कार्यालय ज्ञापन को ओवरराइड करता है जिसने डी**.** ए**.** सी**.** पी**.** योजना को लागू किया था।**[**पैरा **19] [393-**एफ**-**एच**]3.** अपीलार्थी द्वारा जारी विज्ञापनों में उल्लेख किया गया है कि डी**.** ए**.** सी**.** पी**.** योजना उसकी भर्तियों के लिए लागू होगी।हालाँकि**,** यह सेवा न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी विज्ञापन और सेवा विनियमों में किसी कथन के बीच टकराव की स्थिति में**,** बाद वाला प्रबल होगा।प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने आग्रह किया कि विज्ञापन ईएसआईसी भर्ती विनियम **2015** जारी होने से पहले डी**.** ए**.** सी**.** पी**.** योजना की प्रयोज्यता का संकेत देते हैं।हालांकि**,** भर्ती नियमों में बाद में संशोधन विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को दरकिनार कर देगा।**[**पैरा **20,22] [394-**ए**-**बी**; 395-**बी**]**

ग

डी.

ई.

मलिक मजहर सुल्तान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

च

(2006) 9 एससीसी 507:[2006] 3 एससीआर 689; आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 3 एससीसी 55:[2018] 1

एस**.** सी**.** आर**. 695;** राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम

चनान राम (1998) 4 एस. सी. सी. 202:[1998] 1 एस. सी. आर. 1099-संदर्भित।

जी.

4. प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को यह आग्रह करने से रोक दिया गया है कि डी**.** ए**.** सी**.** पी**.** योजना ई**.** एस**.** आई**.** सी**.** में शिक्षण संवर्ग पर लागू नहीं होती है क्योंकि उन्होंने कैट के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका में यह रुख अपनाया है।जबकि यह न्यायालय के वकील को दिए जा रहे उचित निर्देशों की कमी पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करता है

एच.

376 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

अपीलार्थी**,** सांविधिक प्रभाव रखने वाले किसी कानून या विनियम के विरुद्ध कोई रोक नहीं हो सकती है।**[**पैरा **23] [396-**ए**-**बी**]**

नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम सम्पती सुब्बा राव एयर

1963 एससी **884:[1963]** एस**.** सी**.** आर**. 208-**संदर्भित।

5. कैट और उच्च न्यायालय अपीलार्थी निगम में शिक्षण संवर्ग की पदोन्नति के लिए ई**.** एस**.** आई**.** सी**.** भर्ती विनियम **2015** की प्रयोज्यता पर ध्यान देने में विफल रहे।ई**.** एस**.** आई**.** सी**.** भर्ती विनियम **2015** को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के संबंध में डी**.** ए**.** सी**.** पी**.** योजना को लागू करने वाले **29** अक्टूबर **2008** के अनौपचारिक ज्ञापन पर वरीयता प्राप्त है।कैट के समक्ष अपीलार्थी के वकील द्वारा रियायत इस न्यायालय के समक्ष कानून की सही स्थिति का समर्थन करने वाले अपीलार्थी के रास्ते में नहीं आती है।**[**पैरा **26] [398-**बी**-**सी**]**

सी. शंकरनारायणन बनाम केरल राज्य **(1971) 2** एससीसी

डी.

361 :[1971] 0 पूरक।एससीआर 654; भारत संघ बनाम अशोक कुमार अग्रवाल (2013) 16 एससीसी 147:[2013] 12 एससीआर

629; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम यू. पी. राज्य खनीज विकास

निगम संघर्ष समिति (2008) 12 एससीसी 675:[2008]

7 एससीआर **536;** रमिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2016)**

ई.

16 एससीसी 95:[2016] 5 एस. सी. आर. 310; वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव 1983 (3) एस. सी. सी. 284; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुकेश नारायण (2013) 4 एस. सी. सी. 169:[2013] 4 एस. सी. आर. 534; बी. एल. गुप्ता बनाम एम. सी. डी. (1998) 9 एस. सी. सी. 223; पी. डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1987) 3 एससीसी 622:[1987] 3 एससीआर 427;

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, ओडिशा बनाम प्रमोद

च

कुमार साहू (2019) 10 एस. सी. सी. 674-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

[1971] 0 पूरक।एस. सी. आर. **654** पैरा **6 (vii) [2008] 7** एस. सी. आर. **536** पैरा **6 (ix) [2016] 5** एस. सी. आर. **310** पैरा **6 (xi) 1983 (3)** एस. सी. सी. **284** पैरा **7 (x) [2013] 4** एस. सी. आर. **534** पैरा **7 (x)**

जी.

एच.

377

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत का संघ

क.

(1998) 9 एससीसी **223**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7 (x)**

[1975] 3 एससीआर **619**

पीछा किया।

पैरा **13 [2011] 6** एस. सी. आर. **564** पैरा **14 [1968]** एस. सी. आर. **111** में संदर्भित है।

पीछा किया।

पैरा **15 [2013] 12** एस. सी. आर. **629** पैरा **16 [1987] 3** एस. सी. आर. **427** पैरा **17 [1977] 2** एस. सी. आर. **28** पैरा **18 [2006] 3** एस. सी. आर. **689** पैरा **20 [2018] 1** एस. सी. आर. **695** पैरा **21 [1998] 1** एस. सी. आर. **1099** पैरा **22 [1963]** एस. सी. आर. **208**

ग

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[2015] 4 एससीआर **616**

पीछा किया।

पैरा **24 (2019) 10** एस**.** सी**.** सी**. 674** पैरा **25** को संदर्भित

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 152

2022.

2018 (एस-कैट) की रिट याचिका No.24808 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 05.09.2019 के निर्णय और आदेश से।संतोष कृष्णन, याकेश आनंद, सुश्री सोनम आनंद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ई.

यतींद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंद संजय एम. नुली, मेसर्स नुली और नुली, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

ए Introduction.3 * बी Submissions.5 * सी Analysis.12 * डी Conclusion.26 *

जी.

एड। नोट-* मूल निर्णय में वास्तविक पृष्ठांकन को दर्शाता है।

एच.

क.

एक परिचय

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1 5 सितंबर 2019 को कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है।डिवीजन बेंच ने अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी की भर्ती नियमों के विपरीत डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन 2 योजना के तहत "एसोसिएट प्रोफेसर" के पद पर 3 से 25 प्रतिवादियों की पदोन्नति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

3. ई. एस. आई. सी., अपीलार्थी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसके शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा शिक्षण संकाय पद) भर्ती विनियम 2015 4 द्वारा नियंत्रित की जाती है जो 5 जुलाई 2015 को लागू हुआ था।प्रत्यर्थी 3 से 25 5 ई. एस. आई. सी. मॉडल अस्पताल, राजाजीनगर, बेंगलुरु में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी के साथ शामिल हुए।वे 7 फरवरी 2012 और 26 जून 2014

के बीच सेवा में शामिल हुए।केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रभाग के माध्यम से 29 अक्टूबर 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डी. ए. सी. पी. योजना जारी की थी।डी. ए. सी. पी. योजना ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक अधिकारी के रूप में सहायक प्रोफेसर के पद पर दो साल की सेवा पूरी करने पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति पर विचार किया।2 फरवरी 2017 को सहायक प्रोफेसर के रूप में दो साल की सेवा के बाद, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने डी. ए. सी. पी. योजना के तहत पदोन्नति की मांग की और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 6, बेंगलुरु के समक्ष कार्यवाही शुरू की।

ग

डी.

ई.

च

4. 7 फरवरी 2018 को, कैट ने अपीलार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत पर भरोसा किया और कहा कि ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं थे।कैट ने 23 सितंबर 2014 को ई. एस. आई. सी. के संयुक्त निदेशक द्वारा ई. एस. आई. सी. के डीन को संबोधित एक पत्र पर भी भरोसा किया जिसमें चिकित्सा अधिकारी संवर्गों को डी. ए. सी. पी. योजना के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया था।इस प्रकार, कैट ने निर्देश दिया

जी.

1 “ ई. एस. आई. सी. "(एक दूसरे के स्थान पर अपीलार्थी के रूप में संदर्भित)

2 “ डीएसीपी "

3 “ ई. एस. आई. अधिनियम "

4 “ ईएसआईसी भर्ती विनियम 2015 "

5 एक दूसरे से "प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं" के रूप में संदर्भित

6 “ कैट "

एच.

379

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

अपीलार्थी डी. ए. सी. पी. योजना के तहत पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं पर विचार करेगा।

5. अपीलार्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में कैट के आदेश को चुनौती दी।उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर 2019 को याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया किः

(i) चूंकि चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं की भर्ती ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 लागू होने से पहले की गई थी, इसलिए उन्हें डी. ए. सी. पी. योजना का लाभ मिलेगा।

((ii) ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत डी. ए. सी. पी. योजना का वैधानिक प्रभाव है। ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना डी. ए. सी. पी. योजना से अलग हो गए हैं; और

ग

(iii) अपीलार्थी के वकील ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी डी. ए. सी. पी. योजना को लागू करेगा और ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 लागू नहीं होते हैं।

बी प्रस्तुतियाँ

डी.

6. अपीलार्थी की ओर से पेश श्री संतोष कृष्णन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

(i) अपीलार्थी ई. एस. आई. अधिनियम के तहत निगमित एक स्वायत्त वैधानिक निगम है। यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

ई.

(ii) ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 97 अपीलार्थी को अपने स्वयं के विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।सहायक प्रोफेसरों की सेवा के नियम और शर्तें ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 द्वारा शासित हैं।इन नियमों में कहा गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम पांच साल की योग्यता सेवा अनिवार्य है।ई. एस. आई. सी. विनियम 2015 को डी. ए. सी. पी. योजना द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है।

च

(iii) डी. ए. सी. पी. योजना को लागू करने वाला 29 अक्टूबर 2008 का कार्यालय ज्ञापन केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों पर लागू होता है, लेकिन ई. एस. आई. सी. जैसे वैधानिक निकाय पर नहीं। डी. ए. सी. पी. योजना के पाठ से यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों पर लागू होता है, बशर्ते कि इसमें एक उचित संशोधन किया जाए।

जी.

एच.

भर्ती के नियम।इस प्रकार, डी. ए. सी. पी. योजना ई. एस. आई. अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों को ओवरराइड या प्रतिस्थापित नहीं करती है।

(iv) धारा 17 (2) ई. एस. आई. सी. को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू सेवा की शर्तों से हटने की अनुमति देती है, जो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन है।धारा 97 (3) ई. एस. आई. सी. को ऐसे विनियम बनाने का अधिकार देती है जिनका वैधानिक प्रावधानों के समान प्रभाव माना जाता है।

(v) चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता 7 फरवरी 2014 और 26 जून 2016 के बीच अलग-अलग तिथियों पर ई. एस. आई. सी. मेडिकल कॉलेज और पी. जी. आई. एम. एस. आर., राजाजीनगर, बेंगलुरु में सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए।ये उत्तरदाता कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा शिक्षण संकाय पद) भर्ती विनियम, 2008 द्वारा शासित थे।

ग

(vi) उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया कि सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति की शर्तें डी. ए. सी. पी. योजना द्वारा इस आधार पर शासित थीं कि ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं पर लागू नहीं थे।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 को 2 मई 2009 को राजपत्रित किया गया था और

सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में पदोन्नति के लिए चार साल की योग्यता सेवा निर्धारित की गई थी।इसलिए, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं में से किसी ने भी ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 के लागू होने से पहले चार साल की सेवा पूरी नहीं की होगी, यानी 3 जुलाई 2015 को। (vii) ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 के तहत, ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 लागू होने के बाद चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता पदोन्नति के लिए पात्र हो गए।इस प्रकार, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में ई. एस. आई. सी. विनियम 2015 के संचालन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और विधायी कार्रवाई के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।यह न्यायालय, सी में

डी.

ई.

च

जी.

शंकरनारायणन बनाम केरल राज्य **8** ने माना है कि वहाँ

सेवा शर्तों से संबंधित विधायी कार्रवाई के खिलाफ कोई रोक नहीं है;

7 “ ई. एस. आई. सी. भर्ती नियम 2008 "

8 (1971) 2 एससीसी 361 ए

एच.

381

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(viii) यह तय किया गया कानून है कि किसी वैधानिक प्रावधान और कार्यकारी निर्देश के बीच विसंगति या टकराव की स्थिति में, पहले वाले को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।इस न्यायालय में

भारत संघ बनाम अशोक कुमार अग्रवाल **9** ने माना है कि

सरकार द्वारा जारी ज्ञापन या कार्यकारी निर्देशों का उपयोग केवल वैधानिक नियमों के पूरक के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं।

(ix) अपीलार्थी के वकील ने गलती से कैट के समक्ष रियायत दे दी जब उन्होंने कहा कि ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 मामले को नियंत्रित नहीं करेगा।हालांकि, यह गलत रियायत वैधानिक विनियमन के खिलाफ रोक लगाने के बराबर नहीं है।यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है

ग

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य खानज विकास निगम संघर्ष समिति **10;**

(x) उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से दर्ज किया है कि ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना जारी किए गए थे।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विनियम केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद बनाए गए थे।

डी.

(xi) प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं का यह निवेदन कि अपीलार्थी द्वारा जारी विज्ञापन में डी. ए. सी. पी. योजना के आवेदन पर विचार किया गया है, मामले के निर्णय के लिए अप्रासंगिक है।यह तय किया गया कानून है कि यदि कोई विज्ञापन भर्ती नियमों के साथ असंगत है, तो नियम प्रबल होंगे, जैसा कि मलिक मजहर मामले में इस अदालत ने कहा था।

ई.

सुल्तान बनाम यूपीएससी **11,** आशीष कुमार बनाम यूपी राज्य **12** और रमिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **13;**

च

(xii) ई. एस. आई. सी. के गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर डी. ए. सी. पी. की प्रयोज्यता अप्रासंगिक है क्योंकि ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 विशेष रूप से "चिकित्सा शिक्षण संकाय पदों" को नियंत्रित करता है; और

जी.

9 (2013) 16 एससीसी 147 10 (2008) 12 एससीसी 675

11 (2006) 9 एससीसी 507, पैरा 21 12 (2018) 3 एससीसी 55, पैरा 27

13 (2016) 16 एस. सी. सी. 95, पैरा 24 और 25

एच.

(xiii) तीन मामलों को छोड़कर, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 के अनुसार नियमित सेवा के पांच साल पूरे होने पर पदोन्नति दी गई है।

7. श्री यतींद्र सिंह, वरिष्ठ वकील और श्री आनंद संजय एम नुली, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए, प्रतिवादी 3 से 25, ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

(i) 29 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन ने सभी चिकित्सा डॉक्टरों के लिए डी. ए. सी. पी. योजना का विस्तार किया, चाहे वे संगठित सेवाओं से संबंधित हों, या अलग-अलग पदों पर हों।इसने सभी मंत्रालयों/विभागों को डी. ए. सी. पी. योजना लागू करने का भी निर्देश दिया।29 अक्टूबर 2008 के एक अन्य कार्यालय ज्ञापन द्वारा, भारत सरकार ने शिक्षण संवर्ग सहित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न उप-संवर्गों में डी. ए. सी. पी. योजना का विस्तार किया।ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 (2) (ए) के तहत, डी. ए. सी. पी. योजना अपीलार्थी के लिए बाध्यकारी है; (ii) ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008, जो सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए चार साल की योग्यता सेवा निर्धारित करता है, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना जारी किए गए थे।

ग

डी.

(iii) अपीलार्थी ने 19 अगस्त 2011,12 दिसंबर 2012 और एक बार 2013 में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि "विभाग में पदोन्नति के अवसर भारत सरकार के डी. ए. सी. पी. दिशानिर्देशों के तहत उपलब्ध हैं।"प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता रुपये के ग्रेड वेतन के साथ पे बैंड-3 में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी की सेवाओं में शामिल हुए। 6600/- अपीलार्थी के विभिन्न भर्ती विज्ञापनों के अनुसार;

ई.

च

(iv) 23 सितंबर 2011 को, अपीलार्थी ने ई. एस. आई. सी. डेंटल कॉलेज के डीन को एक पत्र संबोधित करते हुए कहा कि "मौजूदा भर्ती नियम डी. ए. सी. पी. योजना के प्रावधानों की तुलना में संशोधन की सक्रिय प्रक्रिया में हैं";

जी.

(v) ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना जारी किए गए थे, जैसा कि ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 (2) (ए) के तहत विचार किया गया था।

एच.

383

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(vi) प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा कैट के समक्ष एक आवेदन दायर करने के बाद, सहायक निदेशक (मेड), सी. एस. आई. सी., मुख्यालय कार्यालय ने 26 दिसंबर 2017 को ई. एस. आई. सी. मॉडल अस्पताल, राजाजी नगर, बैंगलोर के चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि "डी. ए. सी. पी. योजना के तहत पदोन्नति पर विचार करने का प्रस्ताव।प्रक्रिया में है ";

(vii) अपीलार्थी ने कैट के समक्ष और यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका में स्वीकार किया कि डी. ए. सी. पी. योजना उसके कर्मचारियों पर लागू होती है और वह डी. ए. सी. पी. नियमों से बाध्य होने के लिए तैयार है।यह तर्क कि डी. ए. सी. पी. योजना प्रतियोगी उत्तरदाताओं पर लागू नहीं होती है, इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया जा रहा है;

ग

(viii) डी. ए. सी. पी. योजना ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत वैधानिक रूप से प्रभावी है। डी. ए. सी. पी. योजना 2 मई 2009 को ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 के प्रवर्तन से पहले 29 अक्टूबर 2008 को बनाई गई थी। चूंकि ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 (2) (ए) के तहत अनिवार्य केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना जारी किए गए थे, वे डी. ए. सी. पी. योजना को ओवरराइड नहीं करते हैं;

डी.

ई.

(ix) ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 भी ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 (2) (ए) के तहत अनिवार्य "पूर्व अनुमोदन" के बिना जारी किए गए थे। अपीलार्थी ने यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि पूर्व अनुमोदन लिया गया था और यह उच्च न्यायालय द्वारा नोट किया गया है;

च

(x) अपीलार्थी को प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के लिए डी. ए. सी. पी. योजना की प्रयोज्यता से इनकार करने से रोक दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने भर्ती विज्ञापनों में ऐसा प्रतिनिधित्व किया था।प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने अपनी मौजूदा नौकरियों को छोड़ने के लिए इस तरह के अभ्यावेदन पर कार्रवाई की है।रिलायंस को वाई. वी. रंगैया बनाम जे. जे. मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

जी.

श्रीनिवास राव **14;**

(xi) भले ही ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 को वैध रूप से जारी किया गया था, लेकिन चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने पहले ही

14 1983 (3) एससीसी 284, पैरा 9

एच.

384

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

5 जुलाई 2015 को लागू होने से पहले उन्होंने दो साल की सेवा पूरी की।इसलिए, इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को डी. ए. सी. पी. योजना के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुकेश नारायण **15** और बी**.** एल**.** गुप्ता बनाम एम**.** सी**.** डी **16;**

(xii) सभी प्रतियोगी उत्तरदाताओं के पास सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी में शामिल होने से पहले तीन या अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव था।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 के तहत पाँच साल की योग्यता सेवा को एक उचित व्याख्या दी जानी चाहिए और पाँच साल से अधिक का संचयी अनुभव पदोन्नति के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

ग

(xiii) केंद्र सरकार में डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षण कर्मचारियों को डी. ए. सी. पी. योजना के अनुसार पदोन्नत किया जा रहा है।याचिकाकर्ता के प्रतियोगी उत्तरदाताओं के शिक्षण संवर्ग को डी. ए. सी. पी. योजना से मनमाने ढंग से इनकार करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से जब वे रोगियों की देखभाल करने और विशेष नैदानिक कार्य करने के कार्यों का निर्वहन भी कर रहे हों; और

डी.

(xiv) अन्य कानूनी कार्यवाही में, अपीलार्थी ने यह रुख अपनाया है कि डी. ए. सी. पी. योजना अपने कर्मचारियों पर 1 मार्च 2008 से ही लागू होती है।

ई.

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण किया जाएगा।

सी विश्लेषण

च

9. विवाद का सार सहायक प्रोफेसर के पद से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं की पदोन्नति के लिए लागू नियमों/विनियमों को निर्धारित करने के बारे में है, अर्थात् ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008, डी. ए. सी. पी. योजना या ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015।29 अक्टूबर 2008 को, छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्र सरकार में कार्यरत सभी डॉक्टरों के लिए डी. ए. सी. पी. योजना के विस्तार की सिफारिश की।केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

जी.

15 (2013) 4 एससीसी 169 16 (1998) 9 एससीसी 223 ए

एच.

जिसने केंद्र सरकार में चिकित्सा और दंत चिकित्सकों के लिए डी. ए. सी. पी. योजना का विस्तार किया।कार्यालय ज्ञापन की निरंतरता में, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के तहत विभिन्न संवर्गों में डी. ए. सी. पी. के तहत पदोन्नति का विवरण देते हुए 29 अक्टूबर 2008 को एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया।इस योजना ने दो साल की सेवा के बाद सहायक प्रोफेसर के पद से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति को सक्षम बनायाः

"B. शिक्षण उप संवर्ग

ग

डी.

ई.

च

(जोर दिया गया)

10. वर्तमान अपील में विवाद ई. एस. आई. सी. अधिनियम 1948 की धारा 17 (2) (ए) की व्याख्या और ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 और बाद में जारी ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 के खिलाफ 29 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन की प्रयोज्यता से उत्पन्न होता है।ई. एस. आई. अधिनियम 1948 की धारा 17 निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

जी.

"17. कर्मचारी।—(1) निगम अपने व्यवसाय के कुशल लेन-देन के लिए आवश्यक अधिकारियों और सेवकों के ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि किसी भी पद के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त की जाए।

एच.

अधिकतम मासिक वेतन जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से अधिक हो।

(2)(क**)** निगम के कर्मचारियों की भर्ती**,** वेतन और भत्ते**,** अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और आदेशों के अनुसार निगम द्वारा बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

बशर्ते कि जहां निगम की राय है कि उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों से विचलन करना आवश्यक है**,** तो वह केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगाः

ग

बशर्ते कि यह उप-धारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त विभिन्न क्षेत्रों में सलाहकारों और विशेषज्ञों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी,

डी.

(ख) खंड (क) के तहत कर्मचारियों के सदस्यों के अनुरूप वेतनमान निर्धारित करने में, निगम केंद्र सरकार के तहत ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता, भर्ती की विधि, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखेगा और किसी भी संदेह के मामले में, निगम इस मामले को केंद्र सरकार को भेजेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।"

ई.

(जोर दिया गया)

11. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 97 ई. एस. आई. सी. को नियम बनाने का अधिकार देती है।इन विनियमों का वैधानिक प्रावधानों के समान प्रभाव माना जाता हैः

च

“97. विनियम बनाने की निगम की शक्ति।**—(1)** द**.**

निगम**,** पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन**,** निगम के कार्यों के प्रशासन और इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए**,** इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ असंगत विनियम बना सकता है।

जी.

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात् -

एच.

[.....] ए.

387

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(xvi) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा व्यवसायियों की नियुक्ति, ऐसे चिकित्सकों के कर्तव्य और चिकित्सा प्रमाण पत्र का रूप;

[.....]

(xxi) [महानिदेशक और वित्तीय आयुक्त के अलावा निगम के अधिकारियों और सेवकों की भर्ती, वेतन और भत्ते, अनुशासन, सेवानिवृत्ति लाभ और सेवा की अन्य शर्तों की विधि;

[.....]

(xxiii) कोई भी मामला जिसके संबंध में इस अधिनियम द्वारा विनियम बनाने की आवश्यकता या अनुमति है।

ग

(2-क) पूर्व प्रकाशन की शर्त उप-धारा (2) के खंड (xi) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी विनियम पर लागू नहीं होगी।

डी.

(3) निगम द्वारा बनाए गए विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और उसके बाद इस अधिनियम में अधिनियमित होने के रूप में प्रभावी होंगे।

(4) प्रत्येक विनियम, निगम द्वारा बनाए जाने के तुरंत बाद, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और वह सरकार इसकी एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी, जब तक कि यह सत्र में है, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकता है, और यदि, सत्र या क्रमिक सत्रों के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन विनियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो विनियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, हालांकि, ऐसी कोई भी संशोधन या रद्द करना वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

ई.

च

जी.

(जोर दिया गया)

12. ई. एस. आई. सी. द्वारा ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 97 (1) और धारा 17 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 जारी किए गए थे। इन विनियमों ने ई. एस. आई. सी. में विशेषज्ञ (शिक्षण) का संवर्ग शुरू किया और ई. एस. आई. सी. चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण संकाय पदों पर सभी नियुक्तियों को नियंत्रित किया।ईएसआईसी भर्ती

एच.

2008 के विनियमों में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में चार साल की सेवा की आवश्यकता शामिल थी।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015, जो 5 जुलाई 2015 को बनाए गए थे, ने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में पांच साल की सेवा की आवश्यकता निर्धारित की थी।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये विनियम ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 का स्थान लेने के लिए थे और केंद्र सरकार की मंजूरी से बनाए गए थेः

“....कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 17 की उप-धारा (3) और उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (xxi) और उप-धारा (2A) के साथ पठित धारा 97 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा शिक्षण संकाय पद) भर्ती विनियम, 2008 का निरसन करना, जो 2 मई, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

ग

डी.

राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा, केंद्र सरकार की मंजूरी से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षण संकाय पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है, अर्थात्:- ..." (जोर दिया गया)

ई.

13. ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 और ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 97 (3) के आधार पर वैधानिक प्रभाव रखते हैं। यह स्थापित कानून है कि सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए विनियमों में अधिनियमित कानून का बल होता है।में एक संविधान पीठ

च

सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी **17**

अनुच्छेद 12 की शर्तों के भीतर "राज्य" माने जाने वाले कई वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए विनियमों पर विचार किया। मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे ने अभिनिर्धारित किया कि विनियमों का कानून पर समान प्रभाव पड़ता है और वे सांविधिक प्राधिकरणों को बाध्य करते हैं:

जी.

"21. कानून की विशेषता अधीनस्थ विधान के कई रूपों में अपनाए गए तरीके और प्रक्रिया है।नियम और विनियम बनाने वाले प्राधिकारी को नियम के स्रोत को निर्दिष्ट करना चाहिए और

17 (1975) 1 एससीसी 421 ए

एच.

389

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

विनियमन बनाने वाला प्राधिकरण।उदाहरण के लिए, नियम बनाने के लिए क़ानून द्वारा प्रदत्त विशिष्ट शक्ति का उपयोग करते हुए नियम हमेशा बनाए जाते हैं।इसी तरह, विनियम बनाने के लिए क़ानून द्वारा प्रदत्त विशिष्ट शक्ति का प्रयोग करते हुए विनियम बनाए जाते हैं।कानून का सार यह है कि इसे कानून निर्माताओं द्वारा विशिष्ट अधिकार का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है।कानून के अधिकार को चुनौती दी जा सकती है यदि शक्ति अनुपस्थित है या नियम या विनियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है।

[...]

23. ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि इन वैधानिक निकायों को अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और शर्तों को तैयार करने में कोई स्वतंत्रता नहीं है।ये वैधानिक निकाय विनियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। वैधानिक निकाय ऐसी शर्तें बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं जो वे उचित समझते हैं।नियम नियुक्ति की शर्तें, सेवा की शर्तें और कर्मचारियों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।क़ानूनों में इन नियमों को "अनुबंध की स्वतंत्रता पर स्थिति अवरोधक" के रूप में वर्णित किया गया है।धारा 12 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम विशेष रूप से यह अधिनियमित करता है कि कर्मचारियों के नियम और शर्तें ऐसी हो सकती हैं जो विनियमों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।वहाँ।

ग

डी.

आयोग पर विनियमों का पालन करने की कानूनी बाध्यता है।इस तरह के अनुपालन का कोई भी उल्लंघन नियमों का उल्लंघन होगा जो वैधानिक प्रावधान हैं।विचाराधीन अन्य कानूनों जैसे जीवन बीमा निगम अधिनियम और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में**,** हालांकि **1959** के अधिनियम की धारा **12** की तुलना में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है**,** रोजगार के नियम और शर्तें और सेवा की शर्तें विनियमों द्वारा प्रदान की जाती हैं।ये नियम न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि जनता के लिए भी बाध्यकारी हैं।"

ई.

च

(जोर दिया गया)

14. पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट मामले में इस अदालत की दो**-**न्यायाधीशों की पीठ

जी.

निगम**,** पटियाला बनाम मंगल सिंह और अन्य **18** ने एक व्याख्या की

सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत विनियम बनाने की समान शक्ति।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानून के तहत बनाए गए विनियमों में कानून का बल हैः

18 (2011) 11 एस. सी. सी. 702

एच.

390

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

“29. यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों को निर्धारित करने वाले कानून के तहत बनाए गए विनियम, जिसमें सेवानिवृत्ति लाभों का अनुदान भी शामिल है, कानून का बल रखते हैं।वैधानिक शक्तियों के तहत वैध रूप से बनाए गए विनियम सक्षम विधायिका के अधिनियमन के रूप में बाध्यकारी और प्रभावी हैं।वैधानिक निकायों के साथ-साथ आम जनता कानूनी मजबूरी के रूप में विनियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। विनियमों के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में कोई भी कार्रवाई या आदेश उन विनियमों का उल्लंघन होगा जो वैधानिक प्रावधानों की प्रकृति में हैं और ऐसी कार्रवाई या आदेश को अवैध और अमान्य बना देगा।"

ग

15. उत्तरदाता 3 से 25 07 फरवरी 2014 और 26 जून 2016 के बीच अलग-अलग तिथियों पर सहायक प्रोफेसर के रूप में ई. एस. आई. सी. मॉडल अस्पताल, राजाजीनगर, बेंगलुरु की सेवा में शामिल हुए।सहायक प्रोफेसर के पद पर दो वर्ष पूरे करने पर, प्रत्यर्थी 3 से 25 ने डी. ए. सी. पी. योजना के लाभ का दावा करते हुए एसोसिएट प्रोफेसर के ग्रेड में पदोन्नति की मांग करते हुए अपीलार्थी को अभ्यावेदन दिया।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 की प्रस्तावना में कहा गया है कि ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 (2) द्वारा आवश्यक केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी विधिवत मांगी गई थी।एक कार्यकारी निर्देश, इस मामले में एक कार्यालय ज्ञापन और वैधानिक विनियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में-बाद वाला प्रबल होता है।संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य 19 के मामले में एक संविधान पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1954 के खिलाफ पदोन्नति के लिए प्रशासनिक प्रथा का विवरण देते हुए भारत सरकार द्वारा जारी पत्रों की प्रयोज्यता पर विचार किया। संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया किः

डी.

ई.

7. हम श्री एन. सी. चटर्जी के अगले तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि चयन श्रेणी के पदों पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक नियमों के अभाव में सरकार प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है और ऐसे प्रशासनिक निर्देश पहले से बनाए गए नियमों में नहीं पाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते हैं।हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं।यह सच है कि चयन श्रेणी के पदों पर कनिष्ठ या वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति के सिद्धांत को निर्धारित करने वाले नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक इस संबंध में वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक सरकार इसे जारी नहीं कर सकती।

च

जी.

19 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1910 ए

एच.

391

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

चयन श्रेणी के पदों पर संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत के बारे में प्रशासनिक निर्देश।

यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है**,** लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप रहते हैं तो सरकार कमियों को भर सकती है और नियमों को पूरा कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत न हों।**"**

(जोर दिया गया) 16।भारत संघ बनाम अशोक कुमार अग्रवाल 20 में दो न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने विभागीय जांच को नियंत्रित करने वाले सेवा विनियमों के संदर्भ में दोहराते हुए कहा कि एक कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान ने निम्नलिखित शब्दों में कानून की स्थिति का उल्लेख कियाः

ग

“59. ऊपर निर्धारित कानून का लगातार पालन किया गया है और यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि कोई प्राधिकरण वैधानिक नियमों के उल्लंघन में आदेश/कार्यालय ज्ञापन/कार्यकारी निर्देश जारी नहीं कर सकता है।हालांकि**,** निर्देश केवल वैधानिक नियमों के पूरक के लिए जारी किए जा सकते हैं**,** लेकिन इसे प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं।इस तरह के निर्देश वैधानिक प्रावधानों के अधीन होने चाहिए।**(**भारत संघ बनाम मजजी

डी.

जंगमय्या [(1977) 1 एस. सी. सी. 606:1977 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 191], पी. डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1987) 3 एस. सी. सी. 622:1987 एससीसी (एल एंड एस) 310:(1987) 4 ए. टी. सी. 272], पलुरू रामकृष्णैया बनाम भारत संघ [(1989) 2 एस. सी. सी. 541:1989 एससीसी (एल एंड एस) 375:(1989) 10 एटीसी 378:ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 166], सी. रंगास्वमैया बनाम कर्नाटक लोकायुक्ता [(1998) 6 एस. सी. सी. 66:1998 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1448] और संयुक्त

ई.

एयर लाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम डीजी ऑफ इंडिया की कार्रवाई समिति

च

नागरिक उड्डयन [(2011) 5 एस. सी. सी. 435:AIR 2011 SC 2220]।)"

(जोर दिया गया)

17. पी. डी. अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 21 वाले मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन को प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया, जिसने संबंधित विनियमों में संशोधन किए बिना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक सिविल इंजीनियरों की भर्ती के तरीके में कथित रूप से संशोधन किया था। न्यायालय ने कहाः

जी.

20 (2013) 16 एससीसी 147 21 (1987) 3 एससीसी 622

एच.

392 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

"20. 7 दिसंबर**, 1961** का कार्यालय ज्ञापन**,** जो हमारी राय में यूनाइटेड प्रोविंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स **(**भवन और सड़क शाखा**)** वर्ग **II** नियम**, 1936** में संशोधन करना चाहता है**,** वैधानिक नियमों को ओवरराइड**,** संशोधित या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।यह ज्ञापन एक प्रशासनिक आदेश या निर्देश के अलावा और कुछ नहीं है और इस तरह यह कुछ जोड़कर वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य **[**ए**.** आई**.** आर**. 1967** एस**.** सी**. 1910:(1968) 1** एससीआर **111:(1968) 2** एलएलजे **830]**।इसके अलावा भी हैं फायदे

जो अस्थायी सहायक अभियंता सेवा नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने के बाद सेवा के सदस्य बन गए हैं, उन्हें नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार उनकी वरिष्ठता की गणना करने का अधिकार है, जैसा कि उनके सेवा का सदस्य बनने की तारीख से था, और इसे 1969 और 1971 के नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मनमाना, तर्कहीन और उचित नहीं है।"

ग

डी.

(जोर दिया गया)

18. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने कुछ पत्रों और अपीलार्थी के एक आंतरिक संचार का उल्लेख किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी में पदोन्नति के लिए डी. ए. सी. पी. योजना को लागू किया जाना था।हालाँकि, डी. ए. सी. पी. योजना को लागू करने वाले 29 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन के समान, इन पत्रों में तब तक कानून का बल नहीं होगा जब तक कि उन्हें भर्ती नियमों में संशोधन के माध्यम से लागू नहीं किया जाता।इसी तरह की तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करते हुए, इसकी तीन-न्यायाधीशों की पीठ

ई.

भारत संघ बनाम मजजी जंगमय्या **22** में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

च

"31. दूसरा सवाल यह है कि क्या 10 साल के अनुभव की आवश्यकता एक वैधानिक नियम था।उच्च न्यायालय ने कहा कि 10 साल के अनुभव की आवश्यकता एक वैधानिक नियम नहीं है।

प्रत्यर्थियों के वकील ने तर्क दिया कि **10** साल के अनुभव की आवश्यकता वैधानिक है क्योंकि **16** जनवरी**, 1950** का पत्र भारत सरकार द्वारा है और भारत सरकार के पास नियम बनाने का अधिकार है और **21** जुलाई**, 1950** के पत्रों में से एक ने इसे एक औपचारिक नियम के रूप में संदर्भित किया है।विवाद गलत है क्योंकि

जी.

22 (1977) 1 एससीसी 606 ए

एच.

393

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

सरकार के वैधानिक आदेशों और प्रशासनिक निर्देशों के बीच एक अंतर है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वैधानिक नियमों के अभाव में**,** कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश दिए जा सकते हैं।

(सी. आई. टी. बनाम ए. रमन एंड कंपनी [ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 49:(1968) 1 एससीआर 10:67 आई. टी. आर. 11]

[....]

34. प्रत्यर्थियों की ओर से वकील ने तर्क दिया कि 16 जनवरी, 1950 के पत्र में निर्धारित 10 साल के अनुभव की आवश्यकता अनुच्छेद 313 के कारण कानून की शक्ति थी।अनुच्छेद 313 किसी दस्तावेज़ के कानूनी चरित्र को नहीं बदलता है।अनुच्छेद 313 लागू कानूनों को संदर्भित करता है जिनका अर्थ है सांविधिक कानून।एक प्रशासनिक निर्देश या आदेश एक वैधानिक नियम नहीं है।सरकार द्वारा अनुच्छेद 73 (1) (ए) के कारण ही प्रशासनिक निर्देशों में बदलाव किया जा सकता है।

ग

[....]

डी.

36. 10 साल के अनुभव की आवश्यकता में "सामान्य रूप से" अभिव्यक्ति से पता चलता है कि आवश्यकता से विचलन हो सकता है और इस तरह के विचलन को कारणों से उचित ठहराया जा सकता है।

यदि अच्छे कारणों से प्रशासनिक निर्देशों को लागू नहीं किया जाता है तो यह अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है।**(**पी**.** सी**.** सेठी बनाम यूनियन ऑफ

ई.

भारत [(1975) 4 एससीसी 67:1975 एससीसी (एल एंड एस) 203:(1975) 3 एससीआर 201]।)...."

(जोर दिया गया)

19. जिन तिथियों पर चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता अपीलार्थी की सेवा में शामिल हुए-07 फरवरी 2014 से 26 जून 2016 तक-उनकी पदोन्नति ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 द्वारा नियंत्रित की गई थी जो 2 मई 2009 को प्रभावी हुई और सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए चार साल की योग्यता सेवा अनिवार्य की गई।जब चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने दो साल की सेवा पूरी कर ली थी, तो उन्हें ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 द्वारा नियंत्रित किया गया था जो 5 जुलाई 2015 को लागू हुआ और सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए पांच साल की योग्यता सेवा अनिवार्य की गई।इस प्रकार, दो साल की सेवा के पूरा होने पर पदोन्नति की सुविधा देने वाली डी. ए. सी.

पी. योजना प्रतियोगी उत्तरदाताओं पर लागू नहीं होती है, जब नियमों का एक वैधानिक प्रभाव होता है जो 29 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन को ओवरराइड करता है जिसने डी. ए. सी. पी. योजना को लागू किया था।

च

जी.

एच.

394

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

20. अपीलार्थी द्वारा जारी विज्ञापनों में उल्लेख किया गया है कि डी. ए. सी. पी. योजना उसकी भर्तियों के लिए लागू होगी। हालांकि, यह सेवा न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक विज्ञापन और सेवा विनियमों में एक बयान के बीच संघर्ष की स्थिति में,

बाद वाला प्रबल होगा।मलिक मजहर सुल्तान बनाम यू. पी. लोक सेवा

आयोग 23 इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि एक गलत विज्ञापन उन आवेदकों के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं करेगा जो इस तरह के प्रतिनिधित्व पर कार्य करते हैं।न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एक गलत विज्ञापन के खिलाफ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2001 के तहत सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के पद के लिए पात्रता मानदंडों पर विचार किया और कहाः

ग

"21. वर्तमान विवाद उत्पन्न हो गया है क्योंकि पी. एस. सी. द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि जो उम्मीदवार 1-7-2001 और 1-7-2002 पर आयु के भीतर थे, उन्हें परीक्षा के लिए आयु के भीतर माना जाएगा।निस्संदेह, बहिष्कृत उम्मीदवार विज्ञापन के अनुसार योग्य आयु के थे, लेकिन सेवा में भर्ती केवल नियमों के अनुसार की जा सकती है और विज्ञापन में त्रुटि, यदि कोई हो, नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकती है और उम्मीदवार के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं कर सकती है, यदि अन्यथा नियमों के अनुसार पात्र नहीं है।आयु में छूट केवल तभी दी जा सकती है जब नियमों के तहत अनुमति हो और विज्ञापन के आधार पर नहीं।यदि पी. एस. सी. द्वारा विज्ञापन जारी करने के समय नियमों की व्याख्या गलत थी, तो उसके आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है।इसलिए, प्रश्न का उत्तर नियमों की व्याख्या पर निर्भर करेगा।"

डी.

ई.

21. आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **24** में दो**-**न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने मनोवैज्ञानिक के पद के लिए समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के निदेशक द्वारा जारी एक विज्ञापन की व्याख्या करने में मलिक मजहर सुल्तान (उपरोक्त) के फैसले का पालन किया।इस न्यायालय ने संबंधित भर्ती नियमों के खिलाफ विज्ञापन में निर्धारित गलत योग्यताओं को प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया और कहाः

च

जी.

"27. विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, उसे वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन को रास्ता देना होगा।इस प्रकार, वैधानिक नियमों में निर्धारित योग्यता को देखते हुए,

23 (2006) 9 एस. सी. सी. 507 ["मलिक मजहर सुल्तान"]

एच.

24 (2018) 3 एससीसी 55 ए

395

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

अपीलार्थी योग्यता को पूरा करता है और पद के लिए चुने जाने के बाद उसे नियुक्ति से इनकार करना मनमाना और अवैध है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब विज्ञापन और वैधानिक नियमों में भिन्नता होती है, तो यह वैधानिक नियम होते हैं जो प्राथमिकता लेते हैं।"22. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने आग्रह किया कि विज्ञापन ईएसआईसी भर्ती विनियम 2015 जारी होने से पहले डी. ए. सी. पी. योजना की प्रयोज्यता का संकेत देते हैं।हालांकि, भर्ती नियमों में बाद में संशोधन विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को दरकिनार कर देगा।राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम चानन राम 25 मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सेवा नियमों में बाद में संशोधन के बाद पहले का विज्ञापन निष्फल हो जाता हैः

ग

“13. इन परिस्थितियों में, इसलिए, यह समझना मुश्किल है कि कैसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति के साथ सहमत होने के लिए खुद को राजी कर सकती है कि संवर्गों के इस परिवर्तन और नए पदों पर भर्ती के प्रावधान के बावजूद राजस्थान राज्य की कृषि विपणन सेवा में सहायक निदेशक (कनिष्ठ) के पदों में पूर्ववर्ती 23 विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए 5-11-1993 अनुलग्नक P-1 का पुराना विज्ञापन अभी भी आगे बढ़ाया जाएगा और पुराने विज्ञापन के अनुसार इन 23 पूर्ववर्ती रिक्तियों के लिए भर्ती की जानी चाहिए।यह कल्पना करना आसान है कि भले ही 5-11-1993 के इस तरह के पहले के विज्ञापन को आगे बढ़ाया गया होता, इसके परिणामस्वरूप गतिरोध और एक अभ्यास होता।

डी.

ई.

व्यर्थ में।**1995** के नियमों के संशोधन के बाद सहायक निदेशक **(**कनिष्ठ**)** के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि राज्य सेवा के पदानुक्रम में ऐसे कोई पद नहीं थे।नतीजतन यह माना जाना चाहिए कि राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियमों में संशोधन के कारण **5-11-1993** दिनांकित पूर्व विज्ञापन निष्फल हो गया था और

च

ओटियोस।केवल इस संक्षिप्त आधार पर प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता की रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पहले पारित रिट याचिका को खारिज करने के आदेश की पुष्टि करके खारिज कर दिया जाना चाहिए था।"

जी.

(जोर दिया गया)

25 (1998) 4 एससीसी 202

एच.

396

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

23. प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को यह आग्रह करने से रोक दिया गया है कि डी. ए. सी. पी. योजना ई. एस. आई. सी. में शिक्षण संवर्ग पर लागू नहीं होती है क्योंकि उन्होंने कैट के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका में यह रुख अपनाया है।जबकि यह न्यायालय अपीलार्थी के वकील को दिए जा रहे उचित निर्देशों की कमी पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करता है, वैधानिक प्रभाव वाले क़ानून या विनियमों के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।नेदुनुरी कामेश्वरम्मा बनाम सम्पती सुब्बा राव 26 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक पक्ष के पक्ष में विवाद के एक केंद्रीय बिंदु का फैसला किया, चाहे उसके वकील की रियायत कुछ भी हो क्योंकि यह कानून के एक बिंदु पर था।न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहाः

ग

"20. दस्तावेजों के उपरोक्त विश्लेषण से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पक्ष के दस्तावेजों ने स्थापित किया कि यह एक कर्णिकम सेवा इनाम था, और इसे फिर से शुरू करने में जमींदार की कार्रवाई, जिसमें फिर से इससे जुड़ी शुद्धता का अनुमान है, ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के मामले को स्थापित किया।

डी.

वकील द्वारा इस रियायत के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है कि यह निचली अदालत में एक धर्मिला इनाम था, क्योंकि यह कानून के एक बिंदु पर रियायत थी, और इसे वापस ले लिया गया था।वास्तव में, विवाद में केंद्रीय बिंदु यह था, और हमें लगता है कि रियायत किसी गलती या संभवतः अज्ञानता के कारण है जो ग्राहक पर बाध्यकारी नहीं है।हम इस तरह से राय रखते हैं

ई.

कि दो न्यायालयों का निर्णय, जिनके तहत कर्णिकम सेवा इनाम को हटाने के बाद इसे समवर्ती रूप से जायती भूमि माना गया था, मामले की परिस्थितियों में सही था, और उच्च न्यायालय ने इसे उलटने में न्यायसंगत नहीं था।"

च

(जोर दिया गया) 24।हिमालयी कूप में।ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम बलवान

सिंह 27 इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मुवक्किल-वकील संबंधों के संबंध में एजेंसी के कानून को स्पष्ट किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि आम तौर पर अधिवक्ता द्वारा तथ्य को स्वीकार करना बाध्यकारी है, न तो मुवक्किल और न ही न्यायालय कानून या कानूनी निष्कर्षों के मामलों के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य हैः

जी.

26 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 884 27 (2015) 7 एस. सी. सी. 373 ए

एच.

397

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v.भारत संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

"32. आम तौर पर, एक वकील द्वारा किए गए तथ्य की स्वीकृति उनके प्रधानाचार्यों पर तब तक बाध्यकारी होती है जब तक वे स्पष्ट होते हैं; हालाँकि, एक कथित स्वीकारोक्ति के बारे में संदेह मौजूद है, अदालत को ऐसे प्रवेश को स्वीकार करने के लिए तब तक सावधान रहना चाहिए जब तक कि वकील या अधिवक्ता को अपने प्रधानाचार्य द्वारा इस तरह के प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाता है।इसके अलावा, एक मुवक्किल किसी ऐसे बयान या स्वीकारोक्ति से बाध्य नहीं है जिसे देने के लिए वह या उसका वकील अधिकृत नहीं था।एक वकील

आम तौर पर एक स्वीकार या बयान देने के लिए कोई निहित या स्पष्ट अधिकार नहीं है जो सीधे मुवक्किल के पर्याप्त कानूनी अधिकारों को आत्मसमर्पण या समाप्त कर देगा जब तक कि ऐसा स्वीकार या बयान स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उचित कदम नहीं है जिसके लिए वकील को नियुक्त किया गया था।हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि न तो मुवक्किल और न ही अदालत कानून या कानूनी निष्कर्षों के मामलों के रूप में वकील के बयानों या स्वीकारोक्ति से बाध्य है।इस प्रकार**,**

ग

पेशेवर जिम्मेदारी की आम तौर पर स्वीकृत धारणाएँ, वकीलों को मुवक्किल के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करने के बजाय मुवक्किल के निर्देशों का पालन करना चाहिए।हम यह जोड़ सकते हैं कि कुछ मामलों में, वकील मुवक्किल से परामर्श किए बिना निर्णय ले सकते हैं।जबकि अन्य में, निर्णय ग्राहक के लिए आरक्षित है।अक्सर यह कहा जाता है कि वकील मुवक्किल से परामर्श किए बिना रणनीति के बारे में निर्णय ले सकता है, जबकि मुवक्किल को ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है जो उसके अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं।"

डी.

ई.

(जोर दिया गया)

25. हाल ही में**,** इस न्यायालय की दो**-**न्यायाधीशों की पीठ ने

प्रारंभिक शिक्षा**,** ओडिशा बनाम प्रमोद कुमार साहू **28** मनाया गया

कि सेवा नियमों से संबंधित कानून के प्रश्न पर रियायत राज्य को बाध्य नहीं करेगीः

च

“11. न्यायाधिकरण के समक्ष विद्वान राज्य वकील द्वारा दी गई रियायत कानून में रियायत थी और सांविधिक नियमों के विपरीत थी।इस तरह की रियायत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।नियम एक विशिष्ट श्रेणी के वेतन का प्रावधान करते हैं, इसलिए न्यायाधिकरण के समक्ष विद्वान राज्य वकील द्वारा दी गई रियायत अपीलार्थी के लिए बाध्यकारी नहीं है।"

जी.

28 (2019) 10 एस. सी. सी. 674

एच.

सी. ए. टी. के समक्ष अपीलार्थी के वकील की रियायत इस न्यायालय द्वारा लाए गए कानून पर निष्कर्ष को बाधित नहीं करती है।

डी निष्कर्ष

26. कैट और उच्च न्यायालय अपीलार्थी निगम में शिक्षण संवर्ग की पदोन्नति के लिए ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 की प्रयोज्यता पर ध्यान देने में विफल रहे।ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 को 29 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन पर वरीयता प्राप्त है, जिसने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों

के संबंध में डी. ए. सी. पी. योजना को लागू किया था।कैट के समक्ष अपीलार्थी के वकील द्वारा रियायत इस न्यायालय के समक्ष कानून की सही स्थिति का समर्थन करने वाले अपीलार्थी के रास्ते में नहीं आती है।

ग

27. चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2008 या ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 को कैट या उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी।ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 (2) के अनुसार पूर्व अनुमोदन की कमी पर तर्क ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 की प्रस्तावना द्वारा खारिज किया गया है।चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने केवल दो साल की सेवा के बाद एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति का दावा करने के लिए डी. ए. सी. पी. योजना की प्रयोज्यता का समर्थन किया है।डी. ए. सी. पी. योजना का उल्लेख करने वाले भर्ती के विज्ञापनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वे लागू भर्ती नियमों के उल्लंघन में थे।इसलिए, उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

डी.

ई.

28. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और 5 सितंबर 2019 के कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर दिया जाता है।परिणामस्वरूप, अपीलार्थी निगम में शिक्षण संवर्ग की संशोधित वरिष्ठता सूची में ई. एस. आई. सी. भर्ती विनियम 2015 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं की पदोन्नति दिखाई देनी चाहिए, न कि डी. ए. सी. पी. योजना के अनुसार।

च

29. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

30. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

जी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

एच.